सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

एक सकारात्मक पहल

E- Booklet (2nd Edition)

Jeevan Pramaan

August 2024

Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)

Regional Office Amritsar

संदेश

श्री कुमार रोहित,
अ. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश

मुझे अत्यधिक हर्ष और गर्व हो रहा है कि मैं डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) अद्यतन प्रक्रिया पर आधारित इस ई-पुस्तिका के दूसरे संस्करण का विमोचन कर रहा हूँ। यह संस्करण अमृतसर क्षेत्रीय कार्यालय की समर्पित और मेहनती टीम के निरंतर प्रयासों और विशेष कार्यों का जीवंत प्रमाण है। उनकी उत्कृष्टता के प्रति अटूट समर्पण और सुधार की दिशा में उनके प्रयास वास्तव में सराहनीय हैं। यह ई-पुस्तिका हमारे माननीय हितधारकों को उच्चतम गुणवत्ता की सेवाएँ प्रदान करने की उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

इस संस्करण का सूत्रपात अक्तूबर 2023 में पंजाब और हिमाचल प्रदेश अंचल की समीक्षा बैठक से हुआ था, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि कई DLCs तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित थीं। इस देरी का प्रमुख कारण यह था कि पेंशन भोगी अथवा उनके आश्रित अद्यतन नियमों से अपरिचित थे, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन राशि के नुकसान की संभावना उत्पन्न हो गई थी। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय कार्यालय को 'मिशन-मोड' में इन पेंशनभोगियों से संपर्क स्थापित करने और उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए उनके DLCs को शीघ्रता से अद्यतन करने का निर्देश दिया गया।

इस प्रक्रिया के दौरान हमें कई हृदयस्पर्शी कहानियाँ सुनने को मिलीं, जिनमें से कुछ को हमने अपनी ई-पुस्तिका के प्रथम संस्करण, 'एक सकारात्मक पहल – पुराने जीवन प्रमाणपत्रों को अद्यतन करने का प्रयास', में साझा किया था। इस प्रारंभिक संस्करण, जिसमें क्षेत्र की अनेक मार्मिक कहानियों को समाहित किया गया था, को अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इसी से प्रेरित होकर हमने अपने प्रयासों को और भी सशक्त बनाया, और अधिकाधिक प्रभावित व्यक्तियों तक पहुँचने का संकल्प लिया।

इस दूसरे संस्करण में अमृतसर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का सजीव दस्तावेजीकरण किया गया है। यह अन्य कार्यालयों के लिए प्रेरणास्त्रोत के रूप में कार्य करेगा और भविष्य के प्रयासों के लिए मार्गदर्शक भी बनेगा। इस प्रक्रिया के परिणाम अत्यधिक प्रेरणादायक रहे हैं, जिनका विस्तार से वर्णन इस संस्करण में किया गया है। इसमें न केवल लंबित जीवन प्रमाणपत्रों के अद्यतन से संबंधित समस्याओं का उल्लेख है, बल्कि समयबद्ध तरीके से पेंशन जारी करने के प्रयासों का भी जिक्र किया गया है।

मैं इस अनुपम प्रकाशन को साकार करने में अमृतसर क्षेत्रीय कार्यालय की समर्पित टीम को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। यह प्रकाशन हम सभी को हमारे सामूहिक लक्ष्यों की दिशा में और भी अधिक समर्पण और प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

इस महत्त्वपूर्ण प्रयास में शामिल सभी व्यक्तियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ, और मैं इस ई-पुस्तिका के माध्यम से हितधारक संतुष्टि और सेवा प्रदायगी पर सकारात्मक प्रभाव के साक्षी बनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

विशेष सहयोग

ईपीएफ पेंशनरों के जीवन प्रमाणपत्र अपडेट करने हेतु चलाये गये इस विशेष अभियान में क्षेत्रीय कार्यालय अमृतसर (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल) के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने योगदान किये हैं, तथापि इन प्रयत्नों को पुस्तिका का रूप देने में निम्न अधिकारियों व कर्मचारियों ने विशेष भूमिका निभाई है :-

श्री ऋषि शर्मा,
लेखा अधिकारी

श्री अमित कुमार,
सा.सु.स.

श्री प्रशांत असवाल,
सा.सु.स.

श्री रवि कुमार,
व. सा. सु. स.

श्री श्याम सुन्दर,
सा.सु.स.

श्री सूरज चौहान,
सा.सु.स.

श्री लवेश कुमार
शर्मा, सा.सु.स.

श्री सरबजीत सिंह,
क. लिपिक

संकलन एवं सम्पादन

श्री लोकेन्द्र सिंह,
क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त -II

श्री बी. के. वर्मा,
सहायक भ. नि. आयुक्त

प्रस्तावना

औधोगिक श्रमिकों/मजदूरों के भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जा रहीं तीन योजनाओं में से एक कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया जाता है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद वृद्धावस्था में या असामयिक मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। पेंशन का वितरण निर्बाध रूप से पीएफ़ के सदस्य को होता रहे इसके लिए आवश्यक है कि पेंशनर द्वारा प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किया जाए परंतु जब जीवन प्रमाण पत्र (DLC) अपडेट नहीं किया जाता तो नियमानुसार पेंशन रोक दी जाती है। कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है और परिवार वाले इसकी सूचना पीएफ़ कार्यालय में नहीं देते या देना जरूरी नहीं समझते, जिसे महज जानकारी का अभाव भी कह सकते हैं। ऐसे ही सदस्यों/पेंशनरों/आश्रितों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिए अपर केंद्रीय आयुक्त (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश) के कुशल मार्गदर्शन में अप्रैल-मई 2024 में "एक सकारात्मक पहल" के माध्यम से कुछ पेंशनर तक पहुँच कर उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करके, पेंशनर की मृत्यु के मामले में आश्रित पेंशन आरंभ करने में सफलता हासिल हुई थी।

अपर केंद्रीय आयुक्त (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश) महोदय के द्वारा 'एक सकारात्मक पहल' से श्रम सचिव को उनके चंडीगढ़ दौरे के दौरान अवगत करवाया गया जिसकी उन्होंने सराहना की और श्रम सचिव द्वारा ई.पी.एफ. मुख्यालय को इस संबंध में निर्देश दिए गए कि इस पहल को आगे बढ़ाते हुए सभी पेंशनरों तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशनर तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश करने का एक विशेष अभियान दिनांक 20.06.2024 से चलाया गया है जिसके तहत ईपीएफओ के नवनियुक्त सामाजिक सुरक्षा सहायकों के समूह को लेखा अधिकारी के नेतृत्व में पेंशनरों से संपर्क करने का दायित्व सौंपा गया और हर प्रकार की सुविधा इस विशेष टीम को उपलब्ध करवाई गई।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर के पेंशन अनुभाग में करीब 26000 पेंशनर है जिनकी पेंशन प्रत्येक माह भिन्न-भिन्न बैंकों (जैसे:- भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडी एफ सी बैंक एवं एक्सिस बैंक इत्यादि) में भेजी जाती है। ईपीएफओ द्वारा ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन 3 वर्ष या उससे अधिक समय से बंद है, से संपर्क करने के लिए और इस कार्य को अंजाम देने के लिए कार्यालय द्वारा विशेष टीम गठित की गयी| टीम के प्रत्येक सदस्य ने अपने अपने अनुभव कहानी के रूप में साझा किए हैं।

इस विशेष अभियान में सभी पेंशनरों को कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मोबाईल व पेंशनर के पते पर सम्पर्क किया जा रहा है। जिन पेंशनरों के मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची तैयार कर संबंधित बैंक से सम्पर्क कर मोबाईल नम्बर व पते मंगवायें जा रहे हैं। इसके अलावा जिला अनुसार, प्रवर्तन अधिकारियों को भी सूची जारी कर, भौतिक स्तर पर पेंशनरों से सम्पर्क करने हेतु भी आदेशित किया गया है।

अनुक्रमणिका

क्र.	कहानी का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	सड़कों से पेंशन तक: दिलराम की कहानी	8-9
2.	संपर्क से समाधान : गरीबी से राहत	10-11
3.	विकलांगता और पेंशन: कुलवंत लाल की सहायता की कहानी	12-13
4.	पेंशन का सम्बल : आत्मनिर्भरता की ओर	14-15
5.	अविस्मरणीय पेंशन यात्रा: दीदार सिंह के घर में नया परिवर्तन	16-17
6.	अंधेरे से उजाले की ओर: जसबीर कौर की पेंशन की कहानी	18
7.	पेंशन से समाधान : जीवन के अंतिम दिनों में मिला हक	19-20
8.	पेंशन की जरूरत : परदेस में वतन से पहुँची मदद	21-22
9.	आत्मसम्मान का जीवन: पेंशन की सहायता से कर्ज से मुक्ति	23-24
10.	लंबे समय की पेंशन अनुपलब्धता: कुलदीप की राहत की कहानी	25
11.	पेंशन की छांव में नया जीवन: गुरमीत कौर की सच्चाई	26
12.	पेंशन की पुनः प्राप्ति: हरमनदीप सिंह की संघर्ष गाथा	27-28
13.	रजा बेगम की पेंशन यात्रा: आशा की किरण	29
14.	पत्रों से राहत तक: अंकुश और सोनाली की पेंशन , 18 वर्ष के बाद भी	30-31
15.	पत्रों की चुप्पी और फोन कॉल की मदद: स्वर्ण कौर की पेंशन पुनरारंभ की कहानी	32
16.	गुलाबो की पेंशन संकट: पत्र के माध्यम से समाधान	33
17.	सपनों की उड़ान: पेंशन की सहायता से आत्मनिर्भरता की ओर	34
18.	खोया हुआ अधिकार : ई.पी.एफ.ओ. लाभार्थी के द्वार	35
19.	सुदेश रानी की पेंशन वापसी: असाक्षरता और पत्र की उलझनें	36-37
20.	डी.एल.सी के बिना पेंशन का संकट : कृष्णा सैनी की कहानी	38

"सड़कों से पेंशन तक: दिलराम की कहानी"

लगातार प्रयासों से समन्वय बिठाकर, पेंशनर के गाँव के लोगों से संपर्क कर, पेन्शनर को पेंशन लाभ पहुँचाया गया

तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया जीवन प्रमाण - पत्रों की सूची का जब निरीक्षण किया गया तब यह पता चला कि पेन्शनर श्री दिलराम PPO संख्या: LDASR000XXX34 को वर्ष 2017 से पेंशन का लाभ नहीं मिला है। इसकी सूचना देने हेतु हमारे कार्यालय द्वारा पेंशनर दिलराम को पत्र भेजा गया। परंतु मोबाईल कॉल करने हेतु दफ्तर के पास उनका नंबर उपलब्ध नहीं था। पत्र के माध्यम से उन्हे बताया गया, कि आपने इतने लम्बे समय से DLC (जीवन प्रमाण पत्र) नहीं करवाया है, इसिलिए आपको मिलने वाला पेंशन का लाभ वर्ष 2017 से आपको नहीं मिल रहा है। कृपया आप शीघ्रता पूर्वक DLC करवा लें, जिससे हम समयानुसार आपको मिलने वाला पेंशन का लाभ आप तक पहुँचा सकें। किंतु सम्भवतः उन्हें पत्र प्राप्त न हो सका।

इस श्रृंखला में SSA श्री प्रशांत असवाल द्वारा श्री दिलराम जी के स्थानीय पते पर दौरा किया गया। स्थानीय पते पर जाकर यह जानकारी मिली कि पेंशनर अब इस पते पर नहीं रहते हैं। वहाँ रहने वाले व्यक्ति ने एक नया पता दिया और बताया कि इस पते पर पेंशनर के कोई दूर के रिश्तेदार रहते हैं और श्री दिलराम जी कभी-कभी अपने गाँव से वहाँ आते हैं। यह जानकारी मिलने पर प्रशांत नये पते पर पेंशनर के रिश्तेदार से मिले और पेंशनर के पते और फोन नंबर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। परन्तु पेन्शनर का कोई संपर्क नहीं मिल पाया । उसी कॉलोनी में श्री दिलराम के गाँव के कुछ लोग रहते हैं। प्रशांत द्वारा उनसे आग्रह किया गया कि श्री दिलराम जी को उनकी पेंशन के बारे में सूचना पहुंचाई जाए एवं वह अपना फ़ोन नंबर उन्हें दे आये ताकि किसी सूचना के मिलने पर प्रशांत को बता दें ।

गाँव के लोगों द्वारा सूचना मिलने पर दिनांक 02/07/2024 को पेंशनर श्री दिलराम अपनी धर्मपत्नी के साथ हमारे कार्यालय में आए तब उनसे विस्तृत वार्तालाप हुआ, इस वार्ता के दौरान मर्मस्पर्शी और दिल को झकझोर देने वाली उनकी जीवनचर्या के विषय में सुनने को मिला।

उन्होंने बताया कि वे OCM कम्पनी में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। रिटायरमेंट के बाद वे अपने बेटे के पास उत्तर प्रदेश चले गए| पर अब वहाँ पर रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बेटे को हमारी कोई परवाह नहीं है। बस यूं ही सड़कों पर भटकते रहते हैं। रहना, सोना आदि सब काम सड़क के ही सहारे हो रहा है। पेंशनर श्री दिलराम और उनकी धर्म पत्नी दोनों ही बहुत थके हुए और परेशान नज़र आ रहे थे। पूछने पर पता चला कि सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तब हमने उनके लिए भोजन का प्रबन्ध किया। वे हमारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न थे।

उनके कथनानुसार उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी, कि पेंशन जारी रखने के लिए कहाँ पर जाना होगा। अमृतसर से उनके गाँव के व्यक्ति ने गाँव पहुँचकर उन्हें यह बताया कि आपके लिए पेंशन ऑफिस से कर्मचारी आए थे। आप जल्दी से पेंशन ऑफिस जाकर अपनी पेंशन शुरू करवा लीजिये।

हमारे कार्यालय के SSA श्री लवेश सहित अन्य लोगों ने उनके पेंशन को कार्यान्वित करने में सहायता की। साथ ही हमने उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही आपको पेंशन मिलना शुरू हो जायेगी।

जब हमने लाभार्थी श्री दिलराम जी की बकाया राशि और मासिक पेंशन की जाँच की तब हमने देखा कि xxxx44/- रुपये बकाया राशी और मासिक पेंशन के रूप में उपलब्ध हैं। तब हमने स्क्रौल नम्बर:LDASR/2024-2025/C/030/EPS-WX/68 के तहत उनका बकाया राशि स्वीकृत कर दी एवं दिनांक 24 जुलाई 2024 को उनके बैंक खाते में जमा कर दी।

उन्होंने हमारी टीम को अपने दिल से आशीर्वाद दिया और कहा की भगवान् आपका हमेशा भला करे जो आपने इस गरीब का ध्यान रखा।

https://youtu.be/BURhneUfLDs

"संपर्क से समाधान : गरीबी से राहत"

कार्यालय के अनवरत प्रयासों एवं नियोक्ता के सहयोग से आई लाभार्थी के चेहरे व जीवन में मुस्कान

श्री हरबंस सिंह PPO संख्या: LDASR000XXX85 दिसम्बर 2019 से पेंशन का लाभ नहीं ले रहे थे । इसकी सूचना देने हेतु हमारे कार्यालय द्वारा पेंशनर श्री हरबंस सिंह को पत्र भेजा गया। पत्रों के माध्यम से उन्हे बताया गया, कि आपने लम्बे समय से DLC (जीवन प्रमाण पत्र) नहीं करवाया है, इसिलिए आपको मिलने वाला पेंशन का लाभ दिसम्बर 2019 से आपको नहीं मिल रहा है। कृप्या आप शीघ्रता पूर्वक DLC करवा लें, जिससे हम समयानुसार आपको मिलने वाला पेंशन का लाभ आप तक पहुँचा सकें। इन पत्रों का कोई प्रतिउत्तर नहीं आया। मोबाईल कॉल करने हेतु दफ्तर के पास उनका नंबर उपलब्ध नहीं था। DLC (जीवन प्रमाण पत्र) टीम के सदस्य द्वारा पेन्शनर की बैंक शाखा में संबंधित पत्र के साथ दौरा कर उनका मोबाईल नंबर प्राप्त करने कि कोशिश की गई परंतु बैंक के पास पेन्शनर का कोई संपर्क सूत्र नहीं मिल पाया।

लेखा अधिकारी श्री ऋषि शर्मा नें पेन्शनर के नियोक्ता (पंजाब बिजली बोर्ड) से उनके संपर्क सूत्र की जानकारी जुटाने की कोशिश की। नियोक्ता विभाग के कर्मचारियों के जरिये लेखा अधिकारी को पेन्शनर के ग्राम प्रधान का मोबाईल नंबर प्राप्त हुआ। ग्राम प्रधान से बात करने पर यह पता लगा कि पेन्शनर की मृत्यु हो चुकी है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मोहिन्दर कौर (लाभार्थी) की कोई संतान ना होने के कारण प्राय: अपने भाई के साथ दूसरे गाँव में रहतीं हैं और कभी-कभी गाँव आती हैं। लेखा अधिकारी श्री ऋषि शर्मा नें ग्राम प्रधान से लाभार्थी के भाई का मोबाईल नंबर पता कर प्रदान कराने के लिये आग्रह किया। कुछ दिनों के बाद नंबर मिलने पर लेखा अधिकारी द्वारा लाभार्थी के भाई से बात कर उनसे लाभार्थी द्वारा विधवा पेंशन के लिये अर्जी ना देने का कारण पूछा। लाभार्थी के भाई नें बताया की उनकी बहन अपने इस अधिकार के बारे में नहीं जानती हैं और ना ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी है। लेखा अधिकारी नें लाभार्थी से भी बात करने कि कोशिश की परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण वह बात नहीं कर पा रहीं थी। ऋषि शर्मा नें लाभार्थी के भाई को बताया की पेन्शनर की मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी पेंशन की हकदार हैं और उन्हें 2020 से बकाया राशि के साथ-साथ मासिक पेंशन भी मिलेगी। लेखा अधिकारी नें उन्हें पेंशन शुरू करने के लिये कुछ दस्तावेज तैयार रखने का निवेदन किया।

लाभार्थी की खराब स्वास्थ्य को देखते हुए श्री ऋषि शर्मा नें DLC टीम के सदस्य श्री श्याम सुंदर के साथ खुद लाभार्थी के पते पर जाकर पेंशन शुरू करने के लिये जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने का फैसला लिया। जब टीम लाभार्थी के घर पंहुची तो बातचीत के दौरान लाभार्थी के भाई ने बताया कि इनकी आर्थिक एवं शारीरिक अवस्था बड़ी खराब है, पैसों की इतनी तंगी है की ये घर का बिजली बिल भरने में असमर्थ हैं जिस वजह से इनका बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। इनके पास अपने इलाज के लिये भी पैसे नहीं थे इसलिये वह इन्हें अपने घर ले जाते हैं और दवाईयां दिलवाकर वापस घर छोड़ देते हैं। DLC टीम को "वरपाल" गाँव आते देख आस पास के निवासी भी बहुत खुश हुए और कहा कि आप सब का बहुत भला होगा जो आप इस वृद्ध औरत का काम मुकम्मल करने इतनी दूर से आए। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय हरबंस सिंह बारह साल बीमार रहे जिस कारण इस दुखयारी को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी और उनके जाने के बाद उनकी मृत्यु का गम बहुत लगा और तब से माता जी बहुत बीमार और कमजोर रहती हैं।

हमारी टीम नें लाभार्थी को विश्वास दिलाया की जल्द से जल्द उनको पेंशन की राशि दिलाई जाएगी जिससे उन्हें काफी आर्थिक मदद मिलेगी, यह सुनकर लाभार्थी बड़ी प्रसन्न हुईं और उनकी मदद के लिये घर आने का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम होने के कारण अब वह अपनी दवाइयों का खर्च खुद कर पाएंगी।

श्री ऋषि शर्मा द्वारा पेंशन शुरू करने के लिये जरूरी दस्तावेज पेंशन अनुभाग में जमा करा दिए गये हैं। लाभार्थी श्रीमती मोहिन्दर कि बकाया राशि एवं मसिक पेंशन के रूप में xxxx3 रुपये उनके खाते में जमा कराने कि प्रक्रिया पूरी कर दी गयी है।

लाभार्थी के भाई नें अपनी कृतज्ञता /धन्यवाद एक विडियो द्वारा प्रकट की है जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

https://youtu.be/z-qw3Q4HAok

"विकलांगता और पेंशन: कुलवंत लाल की सहायता की कहानी"

दिव्यांग को दिलाया पेंशन का अधिकार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रत्येक माह पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है । पेंशन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष DLC (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करवाना आवश्यक है। प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ पेंशनरों द्वारा 03 वर्ष से अधिक समय से DLC जमा नहीं करवाये हैं। ऐसे पेंशनरों के DLC हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी पेंशनरों को कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार मोबाईल व पेंशनर के पते पर सम्पर्क किया जा रहा है। जिन पेंशनरों के मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची तैयार कर संबंधित बैंक से सम्पर्क कर मोबाईल नम्बर व पते मंगवायें जा रहे हैं। इसके अलावा जिला अनुसार, प्रवर्तन अधिकारियों को भी सूची जारी कर, भौतिक स्तर पर पेंशनरों से सम्पर्क करने हेतु आदेशित किया गया है।

श्री कुलवंत लाल PPO संख्या: LDASR000XXX86 जो कि विकलांग हैं और कार्यालय आ पाने में असमर्थ थे। हमारे कार्यालय द्वारा उन्हें पत्रों के माध्यम से इस बात की सूचना दी गई थी कि आपने वर्ष 2017 से DLC नहीं करवाया है, इसलिए आपकी पेंशन बंद हुई है। सबसे पहला पत्र उन्हें 17 जनवरी 2024 को प्राप्त हुआ | चूँकि पेंशनर को पहला पत्र (पत्र संख्या: RO/ASR/PENSIONCELL/12883) अंग्रेजी में प्राप्त हुआ इसिलिए वे उस पत्र में उल्लेखित सूचना को समझ न सके और उसे एक सामान्य पत्र समझकर नज़रअंदाज कर दिया।

तब कार्यालय के द्वारा दूसरा पत्र 01 जुलाई 2024 को भेजा गया (पत्र संख्या:RO/ASR/PENSIONCELL/6330)| चूँकि दूसरा पत्र पंजाबी में लिखा हुआ था इसिलिए पेंशनर को यह बात समझ में आ गई कि अब तक पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही थी। हाँलाकि अब भी वे यह बात जान पाने में असमर्थ थे कि पेंशन शुरू करवाने के लिए क्या करना होगा।

दो पत्र भेजने के बाद भी जब पेंशनर हमारे कार्यालय में नहीं आए तब हमने पेंशनर से उनके मोबाइल नम्बर 96xxxxxx78 पर बात की। उस बात-चीत के दौरान हमें पता चला कि वे कार्यालय आ पाने में समर्थ नहीं हैं। पेंशनर श्री कुलवंत लाल पठानकोट में कारगो टाटा मोटर में मैकेनिक का काम करते थे। किसी दुर्घटना में उनके पैरों को अत्यधिक नुकसान पहुँचा और वे विकलांग हो गए।

हमने उनकी समस्या सुनी और यह तय किया कि DLC के लिए उनके घर पर जाकर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तब पेंशन अनुभाग के एक SSA श्री लवेश उनके घर पर गए और सारी प्रक्रिया पूरी करके उनकी समस्या का समाधान किया।

पेंशनर की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी वे पेंशन की समस्या को लेकर बहुत परेशान थे। जब हमने उन्हे भरोसा दिलाया कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी पेंशन बहुत जल्द ही आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि पेंशन शुरू होने के बाद मेरी अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पेंशन शुरू होने से मेरे इलाज का खर्चा उठाने में भी काफी मदद मिलेगी।

जब हमने लाभार्थी कुलवंत लाल का बकाया राशी और मासिक पेंशन जाँचा गया तब यह पाया कि बकाया राशि xxx00 रुपये और मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में प्राप्त होंगे। तब हमने उनकी बकाया राशि स्क्रौल नम्बर:LDASR/2024-2025/C/000/EPS-WX/73 के जरीये स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में दिनांक 24 जुलाई 2024 को जमा कर दी।

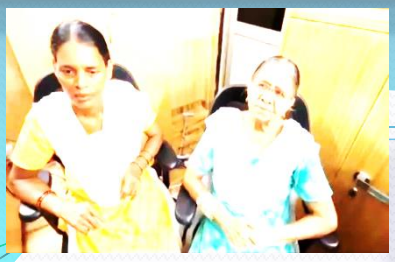

"पेंशन का सम्बल : आत्मनिर्भरता की ओर "

दूरी और असमर्थता को पार करना : पेंशन के अधिकार के लिए एक यात्रा

PPO संख्या: LDASR000XXX77 लाभार्थी मोहिंदर कौर जिनका जीवन पेंशन न मिलने के अभाव में बेहद कष्ट भरा था। लाभार्थी को पेंशन की सूचना देने के लिए कार्यालय के द्वारा पत्र भेजा गया। पत्र का कोई जवाब न मिलने पर लाभार्थी के पते पर पुनः पत्र भेजे गए। किंतु कोई प्रतिउत्तर नहीं मिला। जिसके उपरांत ऐसी स्तिथि में एक अहम कदम उठाया गया। कार्यालय के द्वारा लाभार्थी के बैंक शाखा, जिसमें लाभार्थी का खाता मौजूद है, उसमें पत्र लिखा, परंतु उसका कोई भी जवाब ना आने पर लेखा अधिकारी श्री ऋषि शर्मा ने फोन द्वारा बैंक प्रबंधक को सम्पर्क कर आग्रह किया कि हमें लाभार्थी मोहिंदर कौर का सम्पर्क सूत्र उपलब्ध करवा दें ताकि उनके पेंशन का बकाया एवं मासिक भुकतान किया जा सके। उनके निवेदन पर बैंक प्रबंधक ने अपने रिकार्ड से लाभार्थी का फोन नम्बर तथा कुछ अन्य जानकारी लेखा अधिकारी को उपलब्ध करवायी।

लाभार्थी का फोन नम्बर उपलब्ध होने पर SSA श्री अमित द्वारा फोन किया गया। कई बार प्रयास किया गया। अनेक बार तो ऐसा हुआ कि फोन कॉल लगा ही नहीं। कभी आउट ऑफ नेटवर्क तो कभी आउट ऑफ सर्विस यही सुनने को मिलता था। अथक प्रयास के बाद एक बार फोन लगा, लेकिन नेटवर्क न होने के वजह से आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। तब एक बार और प्रयास किया गया। दोबारा फोन लगा।

फोन कॉल कनेक्ट होने के बाद अब आवाज़ थोड़ी ठीक आ रही थी। तब अमित ने पूछा, "क्या मेरी बात मोहिंदर कौर से हो रही है?" तब उन्होंने कहा, "हाँ, लेकिन आप कौन हैं?" तब अमित ने कहा, कि मैं पी एफ ऑफिस अमृतसर से बात कर रहा हूँ। लाभार्थी ने आश्चर्य से कहा "सच में!" उन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं थी, कि पी एफ ऑफिस से कॉल भी आ सकती है। अमित ने कहा, कि हाँ मैं पेंशन ऑफिस से बात कर रहा हूँ। लाभार्थी ने कहा, कि "मुझे विश्वास कैसे हो"? ऐसे में अमित ने कहा, कि आप ही बताओ कि कैसे आपको विश्वास दिलाऊं? तब लाभार्थी ने अपनी कुछ डिटेल्स की पुष्टि की और अंत में उन्हें विश्वास हो गया।

अमित ने लाभार्थी को बताया कि पेंशन दुबारा शुरू करवाने के लिए आप अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक हमारे ऑफिस में भिजवा दीजिए जिससे आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। इसके उपरांत उन्होंने कहा कि वह खुद सभी दस्तावेज लेकर ही पी एफ ऑफिस अमृतसर आ जाएँगी।

लाभार्थी मोहिंदर कौर ने कार्यालय आने पर बताया कि 2019 में उनका पैर चोट लगने की वजह से घायल हो चुका था और उसके कुछ समय बाद ही लौकडाउन लग गया था। पहले मैं बटाला (पंजाब) में रह रही थी लेकिन अभी कुछ सालों से मैं जमशेदपुर(झारखंड) में रह रही हूँ ।मेरे पति ने ऑफिस में बटाला का पता दिया हुआ था। इसिलिए जितने भी पत्र भेजे गए वह बटाला में पहुँचे। वहाँ जो मेरे परिजन रहते थे उन्होंने मुझे बताया था कि पेंशन ऑफिस से पत्र आए हैं। लेकिन वे लोग ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, इसलिए वे लोग यह बता पाने में असमर्थ थे कि पत्र में क्या बात लिखी हुई है।

जब पी एफ ऑफिस अमृतसर से मेरे पास कॉल आई तब मुझे DLC के बारे में सब कुछ बताया गया, उन्होंने कहा कि जब मेरे पति जीवित थे तब मैं बटाला (पंजाब) में रहती थी, लेकिन जब मेरे पति का देहांत हो गया तब मेरे भतीजों ने मुझसे सारी ज़मीन छीन ली और मजबूरीवश मुझे अपनी बहनों के पास झारखंड (जमशेदपुर) जाना पड़ा। तब मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं रह गया था। मेरी देख-भाल मेरी बहनें कर रहीं थी। तब हमने बताया कि अब तो आपकी बकाया राशि भी मिल जायेगी और साथ ही हर महीने पेंशन भी मिलेगी। तब उन्होंने बहुत ही भावुक हो कर कहा, "पहले मैं अपनी बहनों पर निर्भर थी परंतु अब मैं अपने खर्चे खुद ही उठा सकती हूँ।"

जब हमारे कार्यालय द्वारा लाभार्थी मोहिंदर कौर की बकाया राशि और मासिक पेंशन जाँची गयी तब पाया कि xxx00 रुपये बकाया राशि एवं मासिक पेंशन के रूप में उपलब्ध हैं। लाभार्थी श्रीमती मोहिंदर कौर की बकाया राशि एवं मसिक पेंशन के रूप में xxx63 रुपये उनके खाते में जमा कराने कि प्रक्रिया पूरी कर दी गयी है।

उन्होंने अपनी कृतज्ञता एक वीडियो द्वारा प्रकट की है जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

https://youtu.be/9yq1rUWvGuA

"अविस्मरणीय पेंशन यात्रा: दीदार सिंह के घर में नया परिवर्तन"

स्थानीय लोगों से संपर्क कर दिलाया गया पेन्शनर को उनका अधिकार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विभाग विभाग (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रत्येक माह पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंशन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए , पेंशनरों को DLC (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करवाना आवश्यक है। प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ पेंशनरों द्वारा 03 वर्ष से अधिक समय से DLC जमा नहीं करवाये है। उपरोक्त पेंशनरों के DLC हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें सभी पेंशनरों को कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार मोबाईल व पेंशनर के पते पर सम्पर्क किया जा रहा है। जिन पेंशनरों के मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची तैयार कर संबंधित बैंक से सम्पर्क कर मोबाईल नम्बर व पते मंगवायें जा रहे है।

इसके अलावा जिला अनुसार, प्रवर्तन अधिकारियों को भी सूची जारी कर भौतिक स्तर पर पेंशनरों से सम्पर्क करने हेतु भी आदेशित किया गया है। इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर द्वारा 03 वर्ष से अधिक समय से बकाया जीवन प्रमाण - पत्रों की सूची तैयार कर उपलब्ध मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया गया है और मोबाइल नम्बर उपलब्ध न होने की स्तिथि में पेंशनरों के पते पर पत्र भेजकर पेंशनरों तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है।

पेंशनर श्रीमती कँवलजीत कौर PPO संख्या: LDASR000XXX84 पिछले छः वर्षों से पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहीं थीं। DLC की टीम के सदस्य श्री प्रशांत असवाल ने इनकी पेंशन फाइल एवं अन्य दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद इनका स्थानीय पता प्राप्त किया और इनके पते पर दौरा किया। दिए गए पते पर दौरा करने के दौरान यह पाया गया, कि उस क्षेत्र के हाउस नम्बर बदल चुके हैं। इसके बाद प्रशांत ने आस-पास के दुकानों से पेंशनर के बारे में जानकारी ली किंतु यह प्रयास विफल रहा उसके बाद प्रशांत ने दुकानदारों के द्वारा स्थानीय पोस्टमैन से सम्पर्क किया। जिनसे उन्हे श्रीमती कँवलजीत कौर के घर का पता चला।

श्रीमती कँवलजीत कौर के घर पहुँचने के पश्चात प्रशांत की मुलाकात पेंशनर के पुत्र से हुई जिन्होंने यह अवगत कराया कि उनकी माता का देहांत 15 जुलाई 2018 को हो चुका है। प्रशांत ने पेंशनर के पुत्र से परिवार के अन्य जीवित सदस्यों की जानकारी ली जिसमें यह पाया गया कि स्वर्गीय श्रीमती कँवलजीत कौर के पति श्री दीदार सिंह जीवित हैं एवं पेंशन के दावेदार हैं।

श्री दीदार सिंह अपने इस दावेदारी के बारे में अनभिग्य थे। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि पेंशनर श्रीमती कंवलजीत कौर की मृत्यु के पश्चात पेंशनर के स्थान पर लाभार्थी के रूप में उन्हें अर्थात दीदार सिंह को पेंशन मिलनी है। प्रशांत द्वारा श्री दीदार सिंह और उनके पुत्र को ई.पी.एफ.ओ. पेंशन लाभ के बारे में जानकारी दी गई। प्रशांत द्वारा मौके पर ही उनका पेंशन फार्म भरवाया गया और अन्य दस्तावेज (मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड) के साथ पी एफ ऑफिस अमृतसर के पेंशन विभाग में जमा करवाया गया।

बैंक अकाउंट ना होने के कारण प्रशांत द्वारा श्री दीदार सिंह जी के पते पर दोबारा दौरा किया गया और बैंक पासबुक की कॉपी लेकर पेंशन विभाग में जमा कराई गई। जब पेंशन अनुभाग ने लाभार्थी दीदार सिंह का बकाया राशी और मासिक पेंशन देखा तब पाया कि xxx33 रुपये बकाया राशी और मासिक पेंशन के रूप में लाभार्थी के खाते में प्राप्त होने हैं।

तब हमने उनकी बकाया राशि स्क्रौल नम्बर:LDASR/072024/C/000/EPSM/83 के तहत बकाया राशी लाभार्थी के बैंक खाते में दिनांक 26 जुलाई 2024 को भेज दिए।

"अंधेरे से उजाले की ओर: जसबीर कौर की पेंशन की कहानी"

दृढ़ता एवं मानवीय प्रयासों ने अविश्वास को विश्वास में बदला एवं आश्रित को पहुंचाया जीवन में बदलाव करने लायक राशि लाभ

श्रीमती जसबीर कौर (लाभार्थी) PPO संख्या: LDASR000XXX93 वर्ष 2021 से DLC (जीवन प्रमाण पत्र) ना होने के कारण पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहीं थीं। DLC टीम के सदस्य द्वारा लाभार्थी की बैंक शाखा में संबंधित पत्र के साथ दौरा कर उनका मोबाईल नंबर प्राप्त किया गया। इसकी सूचना देने हेतु हमारे कार्यालय के SSA श्री अमित के द्वारा लाभार्थी को उनके मोबाईल नंबर 8xxxxxxxx7 पर कॉल किया गया। फोन लाभार्थी ने उठाया। अमित नें लाभार्थी को बताया की वह पी एफ ऑफिस अमृतसर के पेंशन अनुभाग से बोल रहे हैं। लाभार्थी को सूचित किया गया की उन्होनें अपना जीवन प्रमाण पत्र जो कि हर एक साल करवाना होता है वर्ष 2021 से नहीं करवाया है।

लाभार्थी कहा, कि मैं यह कैसे मान लूं की आप पेंशन ऑफिस से बात कर रहे हैं? अमित नें उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि आपके सभी डीटेल्स जो आपने पेंशन ऑफिस में दिए हैं, हमारे पास हैं। लाभार्थी को उनकी पेंशन की कुछ जानकारी जैसे PPO संख्या, पता, खाता संख्या इत्यादी बताने के बाद भी शायद उन्हें विश्वास नहीं हुआ तब उन्होंने कहा कि आप मुझे बाद में फोन करो। जब अमित नें कुछ दिनों बाद पुनः लाभार्थी को कॉल किया और फिर से सारी बातें जो उनसे पिछले कॉल में की थी, दोहराईं। तब सम्भवतः उन्हे यकीन हुआ तब उन्होंने पूछा, कि जीवन प्रमाण पत्र के लिए क्या करना होगा? तब अमित नें उन्हे जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी सारी जानकारी दी। श्री अमित नें लाभार्थी को बताया की पी एफ ऑफिस अमृतसर से कर्मचारी उनके घर आकर DLC करेंगे, जिससे उनकी पेंशन पुनः शुरू हो जाएगी किंतु दिनांक 15 जुलाई 24 को लाभार्थी स्वयं पी एफ ऑफिस अमृतसर आ गयीं |

जब लाभार्थी श्रीमती जसबीर कौर हमारे कार्यालय में आयीं तब उनसे बात-चीत के दौरान उनके घर की स्थिति के विषय में बहुत सी बातें जानने को मिली। उन्होंने बताया कि उनके पति दिलबाग सिंह श्री गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल में ड्राइवर का काम करते थे। उनके सेवानिवृत्ती के बाद पेंशन मिलना शुरू हुआ और जब उनका निधन हो गया तब उन्हे पेंशन मिलने लगी। जब अचानक ही पेंशन आना बंद हो गयी तब उन्हें पता ही नहीं था कि पेंशन बंद होने का क्या कारण है। उसके बाद धीरे-धीरे घर की समस्याएं बढ़ने लगीं। ऐसे स्तिथि में कमाई का कोई और जरिया भी नहीं था। जब यूं ही समस्याएं बढ़ती रहीं तब एक समय ऐसा आया की वह बहुत ज्यादा परेशान रहनें लगीं और उन्हें डिप्रेशन हो गया। बहुत लम्बे समय तक यह स्थिती बनी रही। जब आपका फोन आया तब मुझे DLC के बारे में पता चला। यदि अब पेंशन जल्दी शुरू हो जाए तब सारी समस्याएं दूर हो जाए।

हमने उनका DLC किया एवं उन्हें भरोसा दिलाया की आपकी बकाया राशि और मासिक पेंशन आपके खाते में जल्द से जल्द जमा करा दी जाएगी।

जब लाभार्थी श्रीमती जसबीर कौर की बकाया राशी और मासिक पेंशन जाँची गयी तब यह पाया कि बकाया राशी xxx40 रुपये और मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में प्राप्त होंगे। तब हमने उनकी बकाया राशि स्क्रौल नम्बर:LDASR/2024-2025/C/000/EPS-WX/82 के जरिये स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में दिनांक 26 जुलाई 2024 को जमा कर दी।

पेंशन से समाधान : जीवन के अंतिम दिनों में मिला हक"

कार्यालय की सकारात्मक पहल ने शुरु की अस्वस्थ एवं वृद्ध लाभार्थी की पेंशन

03 वर्षों से अधिक समय से बकाया जीवन प्रमाण - पत्रों की सूची का जब निरीक्षण किया गया तब यह पता चला कि श्री हरभजन सिंह PPO संख्या: LDASR000XXX 19 को वर्ष 2020 से पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं। DLC (जीवन प्रमाण पत्र) टीम के सदस्य द्वारा पेन्शनर की बैंक शाखा में संबंधित पत्र के साथ दौरा कर उनका मोबाईल नंबर प्राप्त किया गया। इसकी सूचना देने हेतु हमारे कार्यालय द्वारा पेन्शनर को SSA श्री अमित के द्वारा कॉल किया गया 2-3 बार कॉल करने पर उनसे कोई प्रतिउत्तर नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद उन्हें पुनः लेखा अधिकारी श्री ऋषि शर्मा द्वारा कॉल किया गया, इस बार श्री हरभजन सिंह की धर्म पत्नी श्रीमती अमरीक कौर ने कॉल उठाया परंतु, उनकी आवाज कट रही थी और वह ऋषि शर्मा जी की बातों को समझ नहीं पा रहीं थीं अतः उन्होंने आस पास के लोगों से बात कर उन्हें समझाने के लिए मदद माँगी परंतु किसी ने उनकी सहायता नहीं की तब लेखा अधिकारी ने उनसे कहा की आप परेशान ना हों जब आपके पास कोई आ जाए तब इसी नंबर पर आप बात करा दीजिए

.

सायं 6:30 बजे लेखा अधिकारी के फोन पर एक कॉल आया और उन्होंने कहा की वह श्रीमती अमरीक कौर का सुपुत्र सुखराज बोल रहा है सुबह आपने कॉल किया था जो की उनकी माता जी अमरीक कौर ने उठाया लेकिन नेटवर्क परेशानी की वजह से बात नहीं हो पाई बताइए आपने क्यूँ कॉल की तब लेखा अधिकारी श्री ऋषि शर्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा की मैं पी एफ ऑफिस अमृतसर से लेखा अधिकारी बात कर रहा हूँ। श्री हरभजन जी ने 2020 से DLC नहीं कराया है। इसके जबाब में श्री सुखराज नें बताया कि उनके पिता श्री हरभजन सिंह की 2019 में मृत्यु हो चुकी है। लेखा अधिकारी नें उनकी माताजी के बारे में जानकारी ली और यह जानकारी दी कि उनकी माता जी पेंशन की हकदार हैं। तब श्री सुखराज नें बताया की उनकी माताजी लकवे की मरीज हैं एवं चलने फिरने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें लकवे के साथ-साथ बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है तो वह किसी तरह पी एफ कार्यालय भी नहीं आ सकतीं। वह बोले कि उन्होंने तो पेंशन आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी।

लेखा अधिकारी श्री ऋषि शर्मा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है अगर आप की माता जी की इतनी तबीयत खराब है, तो आप अपने दस्तावेज (आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेन्शनर का मृत्यु प्रमाण पत्र) आदि तैयार रखें हम आपके पते (गुरदासपुर, पंजाब) पर अपनी टीम के साथ आकर दस्तावेज प्राप्त कर लेंगे।

अगले ही दिन लेखा अधिकारी श्री ऋषि शर्मा अपनी टीम के सदस्य श्री सरबजीत सिंह के साथ लाभार्थी के गाँव पहुँचे। लाभार्थी के परिवार से लंबी वार्तालाप के बाद ओर उनकी स्थिति देखने के बाद पता लगा की उनकी माता जी लकवे के चलते ठीक से बैठ भी नहीं सकती हैं। ऋषि शर्मा जी नें लाभार्थी को भरोसा दिलाया की आपकी बकाया राशि बहुत जल्द आपके खाते में जमा कर दी जाएगी इस पर उनके पुत्र श्री सुखराज आश्चर्यचकित हो कर कहा कि पहली बार देख रहा हूँ कि सरकारी काम करने कोई घर तक आया है। श्री सुखराज जी ने हमारी टीम और हमारे विभाग का आभार व्यक्त किया।

लाभार्थी से बातचीत के कुछ अंश का विडियो लिंक नीचे दिया गया है।

https://youtu.be/hRrsNk6W-48

" पेंशन की जरूरत : परदेस में वतन से पहुँची मदद "

कार्यालय के दृढ़ निश्चय एवं सकारात्मक कार्यशैली ने बदली आश्रितों की सरकारी कार्यालय के प्रति धारणा

03 वर्ष से अधिक समय से बकाया जीवन प्रमाण - पत्रों की सूची का जब निरीक्षण किया गया तब यह पता चला कि लाभार्थी श्री हरवेंद्र सिंह रंधावा PPO संख्या: LDASR000XXX43, वर्ष 2018 से पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं।

DLC (जीवन प्रमाण पत्र) टीम के सदस्य द्वारा संबंधित PPO के रिकार्ड की जाँच करने पर पाया गया कि लाभार्थी की माता श्रीमती कुलविंदर कौर वर्तमान में EPFO से पेंशन पा रही हैं। DLC टीम के सदस्य द्वारा पेन्शनर की बैंक शाखा में संबंधित पत्र के साथ दौरा कर उनकी माता जी का मोबाईल नंबर प्राप्त किया गया। हमारे कार्यालय के SSA श्री श्याम सुंदर के द्वारा प्राप्त नंबर पर कॉल किया गया और उनसे श्री हरवेंद्र सिंह रंधावा का 2020 से DLC नहीं कराने का कारण पूछा। तब उनकी माता जी ने कहा कि हमें तो मालूम भी नहीं था कि बच्चों को भी पेंशन मिलती है, फिर उन्होंने बताया कि उनका पुत्र श्री हरवेंद्र सिंह रंधावा मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) मे ट्रक चलाता था, एक माह पहले एक्सीडेंट होने के कारण उनके पुत्र के सिर में चोट आने के कारण उनका एक हाथ काम करना बंद हो गया और उनकी देखभाल भी सरकार द्वारा नियुक्त केयर टेकर द्वारा की जा रही है। वह मेलबोर्न में बहुत बुरी अवस्था मे है इस वजह से उनकी माता जी बहुत चिंतित थीं। श्याम सुंदर नें श्रीमती कुलविंदर कौर जी से कहा कि आप जल्द से जल्द हमारे कार्यालय मे जरूरी दस्तावेज (आधार कार्ड, बैंक पास बुक) लेकर आ जाए।

अगले ही दिन लाभार्थी की माता जी हमारे कार्यालय आ गई तब लेखा अधिकारी श्री ऋषि शर्मा ने उनके बेटे से विडिओ कॉल पर बात कि और उनसे कहा कि आप अपना DLC अपने फोन से भी कर सकते हैं और उन्हे DLC करने कि प्रक्रिया कि जानकारी दी परंतु ऑस्ट्रेलिया में भारत का ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलने के कारण उनका प्रयास विफल रहा, लेकन लेखा अधिकारी श्री ऋषि शर्मा ने उनकी माता जी को भरोसा दिलाया कि हम और कोई तरीका निकाल कर आपके बेटे का DLC कराने का प्रयास करेंगे। विकल्प के तौर पर श्याम सुंदर ने मेलबोर्न में State Bank of India (SBI) कि प्रवासी शाखा कि जानकारी जुटाई और विडिओ कॉल कर श्री हरवेंद्र सिंह रंधावा को उनके नजदीकी SBI कि प्रवासी शाखा का पता बता कर DLC फॉर्म बैंक से हस्ताक्षर कर व्हाट्सप्प करने को कहा।

श्याम सुंदर नें श्री हरवेंद्र सिंह से लगातार संपर्क बनाए रखा एवं व्हाट्सप्प पर उनका DLC प्राप्त किया। श्याम सुंदर नें उन्हें यह भी भरोसा दिलाया कि आपकी पेंशन राशि जल्द से जल्द आपके खाते मे जमा कर दी जाएगी तब श्री हरवेंद्र सिंह रंधावा ने कहा कि विश्वास नहीं होता कि कोई सरकारी विभाग किसी व्यक्ति को इतना समय दे सकता है। ऐसा ना कभी सुना था ना ही कभी देखा। यह उनके जीवन का सरकारी विभाग के साथ सबसे उत्तम अनुभव रहा है।

लाभार्थी नें अपनी कृतज्ञता /धन्यवाद एक विडियो कॉल के माध्यम से प्रकट की है जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

https://youtu.be/wgDSpAG3K74

आत्मसम्मान का जीवन: पेंशन की सहायता से कर्ज से मुक्ति"

मानवीय पहल से दिलवाया लाभार्थी को कर्जमुक्त होने कि क्षमता एवं आत्मसम्मान का जीवन

श्रीमती सम्बो PPO संख्या: LDASR000XXX80 पिछले छ: वर्षों से DLC (जीवन प्रमाण पत्र)ना होने के कारण पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहीं थीं। उनके पते पर पेंशन अनुभाग द्वारा भेजे गये पत्रों का ना तो कोई प्रतिउत्तर आया और ना ही उनके पेंशन रिकार्ड एवं बैंक साखा में उनका कोई फोन नंबर उपलब्ध था। एक दिन पी एफ ऑफिस अमृतसर के रीसेप्शन में हेल्पलाइन नंबर पर श्रीमती सम्बो (लाभार्थी)का कॉल आया। यह कॉल SSA श्री प्रशांत असवाल नें सुना । श्रीमती सम्बो ने बताया की उनकी पेंशन पाँच वर्षों से रुकी हुई है जिसका कारण उन्हें नहीं पता। प्रशांत जी नें लाभार्थी के पेंशन रिकार्ड की जाँच कर उन्हें जानकारी दी कि उनका DLC ना होने के कारण उनकी पेंशन रुकी हुई है तथा उन्हें DLC कराने के तरीके समझाए परंतु पढ़ी-लिखी ना होने के कारण वह बातें समझ नहीं पा रहीं थीं।

लाभार्थी जम्मू कश्मीर के सुदूर गाँव से फोन कर रहीं थीं, इस बात को ध्यान रखते हुए प्रशांत नें लाभार्थी को अपना व्यक्तिगत मोबाईल नंबर प्रदान कर यह आग्रह किया की वह अपने जान पहचान के किसी पढे-लिखे व्यक्ति से बात करा दें ताकि उनको DLC के बारे में समझाया जा सके। अगले दिन प्रशांत जी के मोबाईल पर श्री कर्ण सिंह का कॉल आया जो की लाभार्थी के जानकार हैं। श्री कर्ण सिंह नें कॉल पर लाभार्थी की दयनीय स्थति से अवगत कराया और बताया की महिला विधवा है और गरीबी के कारण लोगों से कर्ज लेकर दिन गुजार रही है। प्रशांत नें उन्हें बताया की महिला का DLC करवाने के बाद उनकी पेंशन दोबारा शुरू हो जाएगी और बकाया राशि भी मिल जायेगी। श्री कर्ण सिंह को यह बताया गया की DLC किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं नजदीकी पी एफ ऑफिस से किया जा सकता है।

लाभार्थी नें DLC करवाने के बाद प्रशांत को उनके मोबाईल पर इसकी जानकारी दी। कुछ दिनों बाद प्रशांत ने पाया कि लाभार्थी का DLC अस्वीकार हो चुका है। प्रशांत नें श्री कर्ण सिंह को कॉल कर इसकी जानकारी दी और सुझाव दिया कि महिला का DLC फॉर्म बैंक से हस्ताक्षर करा कर आधार कार्ड के साथ व्हाट्सएप कर दें और मूल प्रति को पी एफ ऑफिस अमृतसर को पोस्ट कर दें, ताकि पेंशन शुरू की जा सके। DLC फॉर्म व्हाट्सप्प पर प्राप्त होने के बाद प्रशांत नें इन्हें पेंशन अनुभाग में कार्यवाही के लिए जमा करवा दिए। इस तरह बिना अमृतसर आए जम्मू कश्मीर के सुदूर गाँव कि एक गरीब महिला की पेंशन पुनः शुरू की गई।

हमने लाभार्थी श्रीमती सम्बो का बकाया राशी और मासिक पेंशन जाँचा तब पाया कि 1,10,754 रुपये बकाया राशी और मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में प्राप्त होंगे। तब हमने उनकी बकाया राशि स्क्रौल नम्बर LDASR/2024-2025/C/000/EPS-WX/73के जरीये स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में दिनांक 24 जुलाई 2024 को जमा कर दी

अपनी बकाया राशी और मासिक पेंशन मिलने के बाद लाभार्थी श्रीमती सम्बो नें कॉल कर प्रशांत जी का धन्यवाद करते हुए बताया कि उन्होनें इस राशि से अपने लिये हुए कर्ज को चुका दिया है एवं अब उनका परिवार आत्मसम्मान का जीवन जी पाएगा।

नोट :- लाभार्थी के जानकार श्री कर्ण सिंह का व्हाट्सप्प सन्देश नीचे दिया गया है।

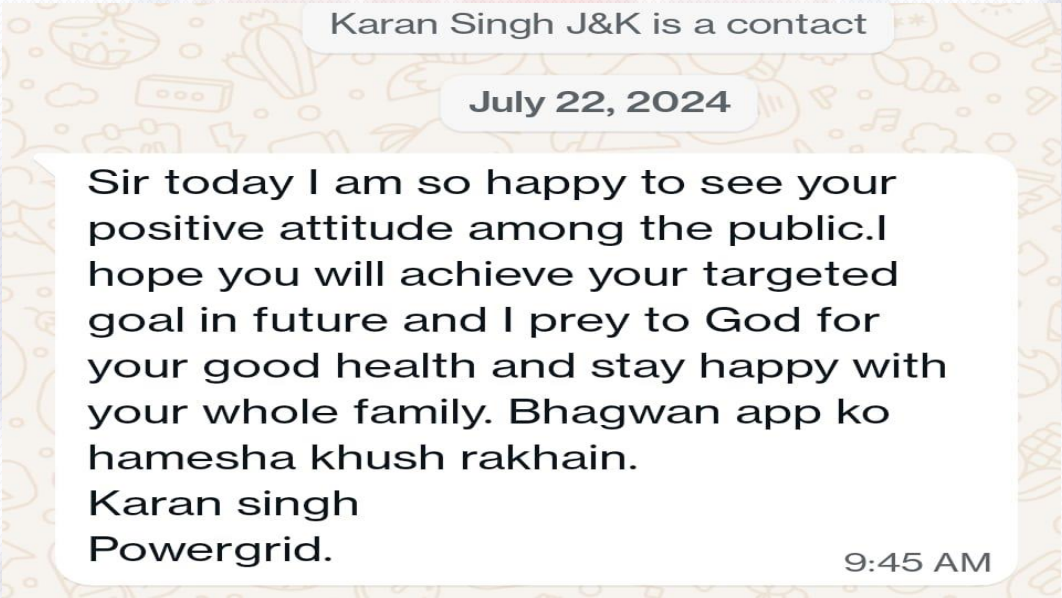

लंबे समय की पेंशन अनुपलब्धता: कुलदीप की राहत की कहानी

नियोक्ता से संपर्क कर लाभार्थी को खोजा, त्वरित कार्रवाई से पहुंचाया रुपये 1.14 लाख का पेंशन लाभ

श्रीमती कुलदीप PPO संख्या: LDASR000XXX22 पिछले पाँच सालों से पेंशन का लाभ नहीं ले पा रही थी। लाभार्थी DLC (जीवन प्रमाण पत्र) के विषय में नहीं जानती थी। कार्यालय से लाभार्थी के पते पर पत्र भेजा गया जिसमें लाभार्थी को इस बात की सूचना दी गई कि आपने लम्बे समय से DLC नहीं करवाया है जिसके कारण आपको पेंशन मिलना बंद हो गया है। इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर ना आने पर DLC टीम के सदस्य द्वारा लाभार्थी के पेंशन फाइल एवं अन्य दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद पेन्शनर के नियोक्ता "गुरदासपुर सेंट्रल कौपरेटिव बैंक" के लेखाकार श्री जतीन्द्र कुमार से लेखा अधिकारी श्री ऋषि शर्मा द्वारा संपर्क किया गया। कई बार दूरभाष बातचीत करने से यह पता लगा कि बैंक का एक कर्मचारी श्रीमती कुलदीप के परिवार के संपर्क में है फलस्वरूप श्रीमती कुलदीप का पता एवं मोबाईल नंबर प्राप्त हुआ।

DLC टीम के सदस्य श्री अमित ने फोन पर लाभार्थी से संपर्क किया जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पति गुरदासपुर सेंट्रल कौपरेटिव बैंक में कार्यरत थे। जब वे वहाँ से सेवानिवृत्त हुए तब उन्हें पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया। सहसा उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनके मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर मुझे पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया, परंतु अचानक से पेंशन आना बंद हो गई तब मुझे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मैं अपने पेंशन के काम के लिए कहाँ जाऊं? बातचीत के दौरान लाभार्थी ने DLC के लिए पी एफ ऑफिस अमृतसर आने की इच्छा जाहिर की ताकि पेंशन संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके।

पी एफ ऑफिस अमृतसर आने पर उन्होंने हमें यह बताया कि पेंशन के न होने से रोजमर्रा के जीवन में होने वाले खर्चे का वहन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो स्तिथि बहुत अधिक खराब हो सकती है। हमने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप एकदम निश्चिंत रहें अब आपको इस प्रकार की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको आपका बकाया राशि भी मिलेगी और इसके साथ ही प्रत्येक माह तय समय पर आपके खाते में पेंशन पहुँच जाया करेगी।

जब लाभार्थी का बकाया राशी और मासिक पेंशन जाँचा गया तब यह पाया कि बकाया राशि xxxxx0 रुपये और मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में प्राप्त होंगे। तब हमने उनकी बकाया राशि स्क्रौल नम्बर: LDASR/2024-2025/C/030/EPS-WX/68 के जरीये स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में दिनांक 24 जुलाई 2024 को जमा कर दी।

पेंशन की छांव में नया जीवन: गुरमीत कौर की सच्चाई

जानकारी के अभाव में लाभार्थी का पेंशन लाभ रुका - कार्यालय के सकारात्मक प्रयासों से मिला रुका हुआ पेंशन लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विभाग विभाग (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रत्येक माह पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। पेंशन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष DLC (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करवाना आवश्यक है। प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ पेंशनरों द्वारा 03 वर्ष से अधिक समय से DLC जमा नहीं कराया गया है। उपरोक्त पेंशनरों के DLC हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी पेंशनरों को कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार मोबाईल व पेंशनर के पते पर सम्पर्क किया जा रहा है। जिन पेंशनरों के मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची तैयार कर संबंधित बैंक से सम्पर्क कर मोबाईल नम्बर व पते मंगवायें जा रहे है। इसके अलावा जिला अनुसार प्रवर्तन अधिकारियों को भी सूची जारी कर भौतिक स्तर पर पेंशनरों से सम्पर्क करने हेतु भी आदेशित किया गया है।इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय अमृतसर द्वारा 03 वर्ष से अधिक समय से बकाया जीवन प्रमाण - पत्रों की सूची तैयार कर उपलब्ध मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया गया है और मोबाइल नम्बर उपलब्ध न होने की स्थिती में पेंशनरों के पते पर पत्र भेजकर पेंशनरों तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है।

इस कड़ी में कार्यालय से श्री श्याम सुंदर द्वारा पेंशनर श्री अमरीक सिंह PPO संख्या: LDASR000XXX73 के स्थाई पते पर दौरा किया गया। पते पर सम्पर्क करने पर उनकी मुलाकात पेंशनर की पत्नी श्रीमती गुरमीत कौर से हुई जिन्होंने यह अवगत कराया कि उनके पति श्री अमरीक सिंह की मृत्यु हो चुकी है एवं उन्हे विधवा पेंशन (Widow Pension) के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब श्याम सुंदर नें उन्हें जानकारी दी कि पेंशनर की मृत्यु के पश्चात लाभार्थी (beneficiaries) के रूप में पेंशनर के पति/पत्नी को पेंशन का लाभ मिलता है। तब उन्होंने कहा कि हमें तो इसकी जानकारी ही नहीं थी।

श्रीमती गुरमीत कौर नें अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुऐ कार्यालय आने में असमर्थता जताई तथा यह भी आशंका जताई कि सरकारी काम होने के कारण इसमें मुझे कार्यालय के कई दौरे करने पड़ेंगे जिसमें वह असमर्थ हैं जिसके उपरांत श्याम सुंदर नें उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी पेंशन कम से कम समय में प्रारंभ हो जाएगी जिसके लिए उन्हें कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। श्याम सुंदर ने श्रीमती गुरमीत कौर से आवश्यक दस्तावेज - आधारकार्ड, बैंक पासबुक और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किये और उनका कार्य प्रारंभ कर दिया।

जब हमारे कार्यालय द्वारा लाभार्थी गुरमीत कौर का बकाया राशी और मासिक पेंशन जाँचा गया तब पाया कि xxxx2 रुपये बकाया राशी और मासिक पेंशन के रूप में उपलब्ध हैं। तब हमने उनकी बकाया राशि स्क्रौल नम्बर LDASR/072024/C/030/EPS-M/82 के जरिये स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में दिनांक 26 जुलाई 2024 को जमा कर दी।

पेंशन की पुनः प्राप्ति: हरमनदीप सिंह की संघर्ष गाथा

कार्यालय के प्रयासों से पहुंचाया छात्र कि शिक्षा में मदद

03 वर्ष से अधिक समय से बकाया जीवन प्रमाण - पत्रों की सूची का जब निरीक्षण किया गया तब हमने पाया कि PPO संख्या: LDASR000XXX77, लाभार्थी का नाम: श्री हरमनदीप सिंह को अप्रैल 2017 से पेंशन नहीं मिली है। तब हमारे कार्यालय द्वारा पेन्शनर को पत्र भेजा गया। (पत्र संख्या: RO/ASR/PENSION CELL/15444) जिसमें उन्हें बताया गया कि आपने 2017 से DLC (जीवन प्रमाण पत्र)। जमा नहीं करवाया है, जिससे आपको मिलने वाला पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृप्या आप शीघ्र हमारे कार्यालय में DLC करवा ले, जिससे से हम आप तक समयानुसार पेंशन पहुँचा सकें। किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर ना आने पर कार्यालय द्वारा 2/3 पत्र अलग-अलग समयावधी पर लाभार्थी के पते पर भेजे गए। किंतु किसी पत्र का कोई जवाब लाभार्थी की ओर से नहीं मिला।

कार्यालय के पास लाभार्थी का फोन नम्बर भी उपलब्ध नहीं था। कार्यालय के SSA श्री अमित ने लाभार्थी के बैंक अकाउंट डीटेल्स एवं उसके बैंक शाखा कि जानकारी प्राप्त कि। तत्पश्चात पेंशन विभाग द्वारा लाभार्थी के बैंक को उनका वर्तमान पता एवं मोबाईल नंबर जानने के लिए पत्र भेजा गया, कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद जब बैंक से कोई जवाब नहीं आया तो लेखा अधिकारी श्री ऋषि शर्मा नें बैंक मैनेजर से मुलाकात कि एवं लाभार्थी का मोबाईल नंबर प्राप्त किया। मोबाईल नंबर प्राप्त होने पर अमित नें लाभार्थी से उनके मोबाईल नम्बर (9xxxxxxxx9) पर सम्पर्क किया गया।

अमित ने पूछा, " क्या आप हरमनदीप सिंह बात कर रहे हैं?" उन्होंने कहा - आप कौन बोल रहे हैं? अमित ने बताया, कि मैं अमृतसर पी एफ ऑफिस से बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा - यहाँ क्यों फोन किया है? अमित ने कहा, कि लाभार्थी श्री हरमनदीप सिंह को इस ऑफिस से पेंशन मिलती थी जो अब मिलनी बंद हो गई है। उन्होंने कहा - क्या आप पेंशन शुरू करवा देंगे? गुस्से में यह बात कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कुछ समय बाद अमित ने दोबारा फोन किया। तब उन्होंने कॉल कट कर दी। ऐसे स्थिति में अमित ने अगले दिन पुनः प्रयास करने का निर्णय लिया। अगले दिन अमित ने फोन किया तब उन्होंने फोन उठाया। अमित ने समझाते हुए कहा, कि आप एक बार मेरी पूरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं? आप कौन हैं? अमित ने कहा कि आप विश्वास किजिए, कि मैं पी एफ ऑफिस अमृतसर से ही बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, कि यदि आप पेंशन ऑफिस से बात कर रहे हैं तब मेरी डिटेल्स बताइए। तब अमित ने उनका PPO संख्या, पता, अकाउंट नम्बर, कब से पेंशन बंद है इत्यादि बताया। तब जाकर थोड़ा उन्हें विश्वास हुआ कि यह कोई फ्रॉड कॉल नहीं है। उन्होंने पूछा, कि पेंशन शुरू करवाने के लिए क्या करना होगा? अमित ने बताया, कि आप अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर हमारे ऑफिस में भिजवा दीजिए जिससे आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। इसके उपरांत उन्होंने कहा कि वह खुद सभी दस्तावेज लेकर ही पी एफ ऑफिस अमृतसर आ जाएंगे।

लाभार्थी श्री हरमनदीप सिंह हमारे कार्यालय आए और अपने सभी आवश्यक कागज़ात साथ लाए। सर्वप्रथम हमने उनसे यह जानने का प्रयास किया की उन्हें हमारे कार्यालय द्वारा भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ कि नहीं। उन्होंने बताया कि उन्हे पत्र तो प्राप्त हुआ किंतु अपनी पढ़ाई में अधिक व्यस्त होने के कारण पत्र पर अधिक ध्यान ही नहीं दिया फिर पी एफ ऑफिस अमृतसर से कॉल आया। उन्हे पहले लगा कि कोई फ्रॉड कॉल ना हो इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया परंतु विस्तृत जानकारी पा कर उन्हे लगा कि अगर पी एफ ऑफिस अमृतसर में जाया जाए तो उन्हे भी पेंशन जरूर लग जाएगी।

उन्होंने यह बताया कि इससे पूर्व उनके पिता श्री जिनका नाम जसबीर सिंह है उन्हें पेंशन का लाभ प्राप्त होता था। वे गुरदासपुर में चीनी मिल में कार्यरत थे और उनकी अकाल मृत्यु ने हमें बेसहारा कर दिया। तत्पश्चात मेरी माताजी सुखविंदर कौर है, जिन्हे उनके पिता के स्थान पर पेंशन मिलना शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि उनकी माता जी को अब तक भी पेंशन का लाभ मिल रहा है। परंतु वह भी पेंशन का लाभ ले सकेंगे यह उन्हे कॉल पर ही पता चला।

लाभार्थी श्री हरमनदीप सिंह ने बताया कि मैं अभी विद्यार्थी हूं और मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत आगे जाना है। यदी पेंशन शीघ्र ही प्रारंभ हो जाए तो मेरी शिक्षा में मुझे बहुत सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त मैं रोजगार प्राप्ति हेतु कोई बेहतर ट्रेनिंग करना चाहता जिसके लिए धन की तो आवश्यकता होगी ही। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूँ कि इस पेंशन से मैं अपने कुछ आवश्यक कार्य पूर्ण कर सकता हूँ।

जब लाभार्थी श्री हरमनदीप सिंह का बकाया राशी और मासिक पेंशन जाँचा गया तब यह पाया कि बकाया राशी xxxx8 रुपये और मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में प्राप्त होंगे। तब हमने उनकी बकाया राशि स्क्रौल नम्बर: LDASR/2024-2025/C/000/EPS-WX/73 के जरीये स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में दिनांक 24 जुलाई 2024 को जमा कर दी।

लाभार्थी हरमनदीप ने हमारे कार्यशैली की सराहना करते हुए हमारा आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपना धन्यवाद एक विडियो द्वारा प्रकट किया है जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

https://youtube.com/shorts/9F_KJIC5T2I

रजा बेगम की पेंशन यात्रा: आशा की किरण

रुपये 1.13 लाख के पेंशन लाभ से समस्याओं के समाधान में सहायता

रजा बेगम PPO संख्या: LDASR000XXX11 जिन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी, कि वह भी पेंशन कि लाभार्थी हैं। कार्यालय द्वारा लाभार्थी के पते पर पत्र भेजा गया किंतु उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रीया नहीं आई। उसके बाद भी कुछ पत्र भेजे गए लेकिन कोई उत्तर प्राप्त ना हो सका। इस स्थिति में लाभार्थी से सम्पर्क करने के लिए लाभार्थी का फोन नम्बर भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। जब कार्यालय के द्वारा सभी प्रयास किए जा चुके थे तब अंततः लाभार्थी का PPO संख्या रद्द करना पड़ा। ऐसा उस स्थिति में होता है जब सदस्य को DLC (जीवन प्रमाण पत्र) करवाए हुए पाँच वर्ष से अधिक हो जाए। इसके अतिरिक्त कार्यालय की ओर से सदस्य को पत्र भेजा जाए, किंतु सदस्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना आए। कार्यालय के पास सदस्य का फोन नम्बर भी उपलब्ध न हो या इसके अतिरिक्त संपर्क करने का कोई और ज़रीया शेष न हो, तब कार्यालय के द्वारा सदस्य का PPO संख्या रद्द कर दिया जाता है।

लाभार्थी के पति अब्दुल राशिद एन. एच. पी. सी. मे स्टोर कीपर का कार्य करते थे, वर्ष 2014 में लाभार्थी के पति को पेंशन मिलना शुरू हो चुका था और वर्ष 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। अब वर्ष 2015 से लाभार्थी रजा बेगम अर्थात अब्दुल राशिद की पत्नी को विधवा पेंशन का लाभ मिलना था। किंतु उस समय लाभार्थी को इसकी जानकारी ही नहीं थी।

एक बार ऐसा हुआ कि लाभार्थी की बेटी को अपने किसी जानकार के साथ उनके ही किसी कार्य हेतु क्षेत्रीय कार्यालय अमृतसर आना पड़ा। जहाँ उन्हें पता चला कि यहाँ पर पेंशन से सम्बन्धित कार्य होते हैं। कार्यालय के कर्मचारी से बात-चीत के दौरान यह पता चला कि पेंशनर की मृत्यु के पश्चात लाभार्थी के तौर पर उनकी पत्नी को मृत्यु तक तथा पुत्र/पुत्री को 25 के उम्र तक पेंशन का लाभ मिलता है।

यह जानने के बाद उन्होंने बताया, कि मेरे पिता जी भी एक कम्पनी में काम करते थे और अब उनका देहांत हो चुका है तो मेरी माँ को पेंशन तो मिलनी चाहिए। इसके बाद पेंशन अनुभाग के SSA श्री सूरज उनसे मिले और सारी जानकारी प्राप्त की, उन्हें बताया गया कि कार्यालय से तो आपको पत्र भी भेजे गए हैं किंतु हमें कोई उसका उत्तर ही नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि हो सकता है कि गुरुमुखी लिपि का पर्याप्त ज्ञान ना होने के कारण पत्र को हमने नज़रअंदाज कर दिया हो। तब उनसे कहा गया कि आप अपने पिता जी का मृत्यु प्रमाण पत्र और अपनी माता जी का आधार कार्ड और बैंक पासबुक इस ऑफिस में भिजवा दें, उन्होंने कहा कि मुझे अभी कुछ दिनों में ही किसी अन्य कार्य से अमृतसर आना है तब मैं खुद कार्यालय में ले आऊंगी।

लाभार्थी की बेटी हमारे कार्यालय आईं और वे अपने कुछ आवश्यक दस्तावेज साथ में लेकर आई थीं। चुंकी उनका PPO संख्या 21611 रद्द कर दिया गया था, इसलिए कार्यालय की ओर से तत्पश्चात उन्हे नया PPO संख्या: 35346 लगा दिया गया हैं।

उन्होंने कहा कि पेंशन शुरू होने से मेरी माँ की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमने उन्हें इस बात के लिए भरोसा दिलाया कि अब आप बिल्कुल ठीक स्थान पर हैं और हमारा यह पूरा प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी हो सके हम पेंशन शुरू कर दें।

जब लाभार्थी का बकाया राशी और मासिक पेंशन जाँचा गया तब यह पाया कि बकाया राशि 1,13,712 और मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में प्राप्त होंगे। तब हमने उनकी बकाया राशि स्क्रौल नम्बर: LDASR/0624/C/030/EPS-I/67 के जरीये स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में दिनांक 24 जुलाई 2024 को जमा कर दी।

पत्रों से राहत तक: अंकुश और सोनाली की पेंशन , 18 वर्ष के बाद भी

लाभर्थियों की जानकारी के अभाव को कार्यालय की पहल ने बदला; पहुंचाया लाभर्थियों तक xxxx6 रुपये का बकाया लाभ एवं मासिक पेंशन की गई शुरु

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विभाग विभाग (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रत्येक माह पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है । पेंशन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए , पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष DLC (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करवाना आवश्यक है । प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ पेंशनरों द्वारा 03 वर्ष से अधिक समय से DLC जमा नहीं करवाये है । उपरोक्त पेंशनरों के DLC हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी पेंशनरों को कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार मोबाईल व पेंशनर के पते पर सम्पर्क किया जा रहा है । जिन पेंशनरों के मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं है , उनकी सूची तैयार कर संबंधित बैंक से सम्पर्क कर मोबाईल नम्बर व पते मंगवायें जा रहे हैं।

जब 03 वर्ष से अधिक समय से बकाया जीवन प्रमाण - पत्रों की सूची का निरिक्षण किया गया तब हमने पाया कि लाभार्थी अंकुश भारद्वाज और सोनाली भारद्वाज PPO संख्या: LDASR000XXX60 को वर्ष 2018 से पेंशन प्राप्त नहीं हुई है। लाभार्थियों का मोबाइल नम्बर सूची में उपलब्ध नहीं था अथवा पेंशन अनुभाग के द्वारा उन्हे पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। पेंशन अनुभाग ने लाभार्थी को 06/03/2024 को पत्र संख्या:ro/asr/pension cell /12478, के माध्यम से लाभार्थी को सूचित किया कि “आपको मिलने वाला पेंशन का लाभ वर्ष 2018 से आप तक नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि प्रत्येक वर्ष DLC जमा करवाना अनिवार्य है इसलिए आप शीघ्र ही अपना DLC जमा करवा दें जिससे आपको मिलने वाला पेंशन का लाभ समयानुसार आपको मिल सके”।

DLC टीम के सदस्य द्वारा संबंधित PPO के रिकार्ड की जाँच करने पर पाया गया कि दोनों लाभार्थियों की माता श्रीमती रेनू बाला वर्तमान में EPFO से पेंशन पा रही हैं। इसकी पूरी-पूरी संभावना थी कि श्रीमती रेनू बाला के बैंक खाते से उनका मोबाईल नंबर जरूर लिंक होगा। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए DLC टीम के सदस्य द्वारा श्रीमती रेनू बाला की बैंक शाखा से संपर्क कर उनका मोबाईल नंबर प्राप्त किया। जब मोबाईल के द्वारा श्रीमती रेनू बाला से उनके पुत्र एवं पुत्री के पेंशन ना प्राप्त करने का कारण पूछा गया तो वह ये जानकर आश्चर्यचकित हुई क्योंकि उन्हें यह लगता था की बच्चों की पेंशन 18 वर्ष तक ही मिलती है।

DLC टीम के सदस्य द्वारा उन्हें यह जानकारी दी गई कि उनके दोनों बच्चे "अंकुश भारद्वाज और सोनाली भारद्वाज" 25 वर्ष तक पेंशन के हकदार हैं एवं DLC कराने के बाद उन्हें बकाया राशि मिलने के साथ-साथ मासिक पेंशन भी शुरू हो जाएगी। श्रीमती रेनू बाला को यह भी अवगत कराया गया की वर्तमान में DLC नजदीकी बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ घर बेठे-बेठे मोबाईल से भी किया जा सकता हैऔर अगर फिर भी उन्हें DLC में कोई समस्या आए तो हमारे ऑफिस से कर्मचारी उनके घर आकर दोनों बच्चों का DLC कर सकते हैं।

श्रीमती रेनू बाला ने बताया की वह खुद भी अपना DLC कराने के लिये पी एफ ऑफिस अमृतसर आती हैं एवं अपने बच्चों का DLC कराने के लिये स्वयं बच्चों को लेकर पी एफ ऑफिस आएंगी लाभार्थी अंकुश भारद्वाज और सोनाली भारद्वाज 19/06/2024 को पी एफ ऑफिस अमृतसर आए। लाभार्थी अंकुश भारद्वाज ने बताया कि इससे पूर्व उनके पिता बलवीर सिंह को पेंशन प्राप्त होती थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी माता श्रीमती रेनू बाला एवं दोनों भाई बहन को पेंशन मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि उनकी माता श्री को प्रत्येक महीने पेंशन प्राप्त होती है और मुझे अर्थात अंकुश भारद्वाज और मेरी बड़ी बहन अर्थात सोनाली भारद्वाज को वर्ष 2018 तक प्रत्येक महीने पेंशन प्राप्त होती थी। वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यदी पेंशन शुरू हो जाए तब हमारी पढ़ाई में कुछ सहायता हो जाएगी और रोजगार के लिए कोई ट्रेनिंग कर पाएंगे।

जब लाभार्थी अंकुश भारद्वाज और सोनाली भारद्वाज की बकाया राशी और मासिक पेंशन जाँचा गया तब यह पाया कि बकाया राशी xxxx6 रुपये और मासिक पेंशन लाभार्थियों के खाते में प्राप्त होंगे। तब हमने उनकी बकाया राशि स्क्रौल नम्बर: LDASR/2024-2025/C/000/EPS-WX/73 के जरीये स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में दिनांक 24 जुलाई 2024 को जमा कर दी।

लाभार्थी ने हमारे कार्यशैली की सराहना करते हुए हमारा आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी कृतज्ञता एक विडियो द्वारा प्रकट की है जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

https://youtu.be/9iHYie4ItrQ

पत्रों की चुप्पी और फोन कॉल की मदद: स्वर्ण कौर की पेंशन पुनरारंभ की कहानी

कार्यालय की सकारात्मक सोच, मार्गदर्शन से शुरू हुई 2018 से रूकी हुई पेंशन में वृद्धावस्था 1.83 लाख रुपये का बकाया लाभ एवं मासिक पेंशन

श्री गुरचरन सिंह PPO संख्या: LDASR000XXX50 पिछले छः वर्षों से पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसकी सूचना देने के लिए उनके पते पर पत्र संख्या RO/ASR/PENSIONCELL/10255 भेजा गया परंतु उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर नहीं मिला। DLC (जीवन प्रमाण पत्र) टीम के सदस्य द्वारा पेन्शनर की बैंक शाखा में संबंधित पत्र के साथ दौरा कर उनका मोबाईल नंबर 7xxxxxxxx6 प्राप्त किया गया। बैंक से यह भी जानकारी मिली कि पेन्शनर के खाते में कई सालों से लेन देन नहीं हुआ है। जब प्राप्त मोबाईल नंबर पर DLC टीम के सदस्य द्वारा कॉल किया गया तो कॉल पेन्शनर की धर्म पत्नी श्रीमती स्वर्ण कौर ने उठाया।

फोन पर बात-चीत के दौरान श्रीमती स्वर्ण कौर नें यह अवगत कराया की उनके पति श्री गुरचरन सिंह जी की मृत्यु जून 2018 में हो चुकी है। DLC टीम के सदस्य नें उन्हें बताया कि पेंशनर की मृत्यु के पश्चात लाभार्थी (beneficiaries) के रूप में पेंशनर के पति/पत्नी को पेंशन का लाभ मिलता है। तब उन्होंने कहा कि हमें तो इसकी जानकारी ही नहीं थी। श्रीमती स्वर्ण कौर को फोन कॉल पर संबंधित दस्तावेज - आधारकार्ड, बैंक पासबुक और मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त को अमृतसर ऑफिस भिजवाने का आग्रह किया जिससे उनकी पेंशन शुरू की जा सके। लाभार्थी को यह भी बताया गया कि जून 2018 के बाद से अब तक पेंशन की बकाया राशि तो आपको मिलेगी ही साथ ही प्रत्येक महीने मिलने वाला पेंशन भी अब समयानुसार आपके खाते में पहुँच जाएगा। संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने पर पेंशन अनुभाग नें श्रीमती स्वर्ण कौर की विधवा पेंशन बहाल की।

जब लाभार्थी श्रीमती स्वर्ण कौर कि बकाया राशी और मासिक पेंशन जाँचा गया तब यह पाया कि बकाया राशी xxxx3 रुपये और मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में प्राप्त होंगे, इसके साथ-साथ श्रीमती स्वर्ण कौर को xxxxx0 रुपये Return on Capital (ROC) के रूप में मिलनी है। तब हमने उनकी बकाया राशि एवं ROC राशि स्क्रौल नम्बर:LDASR/2024-2025/C/000/EPS-WX/82के जरिये स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में दिनांक 26 जुलाई 2024 को जमा कर दी।

गुलाबो की पेंशन संकट: पत्र के माध्यम से समाधान

दुर्घटनाग्रस्त आश्रित को घर जाकर पहुँचाया गया पेंशन लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) ने अपने अंशधारकों को बेहतरीन एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर अनेक नए अभियान प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में, संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर (पंजाब) ने भविष्य निधि के पेंशनधारकों को सर्वश्रेष्ठ तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से DLC (जीवन प्रमाण पत्र) टीम गठित कर एक विशेष अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान के तहत ऐसे पेंशनरों के संपर्क किया जा रहा है जिनकी पेंशन उनका ई-जीवन प्रमाण अपडेट न होने के कारण पिछले पांच वर्षों के रूकी हुई है।

श्रीमती गुलाबो PPO संख्या: LDASR000XXX69 जनवरी 2020 से DLC (जीवन प्रमाण पत्र)ना होने के कारण पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहीं थी। इसकी सूचना देने के लिए उनके पते पर पत्र भेजा गया परंतु उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर नहीं मिला। पेंशन अनुभाग के द्वारा लाभार्थी के बैंक शाखा में संबंधित पत्र के साथ दौरा कर उनका मोबाईल नंबर प्राप्त करने का प्रयास किया गया परंतु उपलब्ध मोबाईल नंबर सक्रिय नहीं था।

DLC टीम के सदस्यों के द्वारा लगातार प्रयासरत रहने से जून 2024 में श्रीमती गुलाबो से उनके मोबाईल पर बात हो पाई। लाभार्थी नें फोन कॉल पर बताया कि मेरे पति भगवान दीन स्वदेशी वुलन मील में कार्य करते थे। जब वे वहाँ से सेवानिवृत्त हुए तब उन्हें पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया। जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई तब उन्हें पेंशन का लाभ मिलना शुरू हुआ. जब यकायक पेंशन आना बंद हो गई तब यह पता नहीं था कि पेंशन का काम कहाँ जाकर करवाना होगा। इसके बाद DLC टीम के सदस्य द्वारा उन्हें DLC की पूरी जानकारी दी गई। लाभार्थी नें बताया कि एक दुर्घटना में उनका पाँव बहुत बुरी तरह घायल होने के कारण वह कहीं जा नहीं पा रहीं हैं। फोन पर उन्हें यह भरोसा दिलाया कि हमारे द्वारा उनके घर आकर DLC किया जायेगा।

इसके पश्चात श्री प्रशांत असवाल एवं DLC टीम के अन्य सदस्य द्वारा श्रीमती गुलाबो का उनके घर पर मोबाईल से DLC किया गया एवं पेंशन बहाल की।

जब लाभार्थी श्रीमती गुलाबो की बकाया राशी और मासिक पेंशन जाँचा गया तब यह पाया कि बकाया राशी xxxx0 रुपये और मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में प्राप्त होंगे। तब हमने उनकी बकाया राशि स्क्रौल नम्बर:LDASR/2024-2025/C/000/EPS-WX/82के जरिये स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में दिनांक 26 जुलाई 2024 को जमा कर दी।

सपनों की उड़ान: पेंशन की सहायता से आत्मनिर्भरता की ओर

कार्यालय की सकारात्मक पहल ने सुलझाई अस्वीकार जीवन प्रमाण-पत्र कि उलझन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) ने अपने अंशधारकों को बेहतरीन एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर अनेक नए अभियान प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में, संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर (पंजाब) ने भविष्य निधि के पेंशनधारकों को सर्वश्रेष्ठ तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से DLC (जीवन प्रमाण पत्र) टीम गठित कर एक विशेष अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान के तहत ऐसे पेंशनरों के संपर्क किया जा रहा है जिनकी पेंशन उनका ई-जीवन प्रमाण अपडेट न होने के कारण पिछले पांच वर्षों के रूकी हुई है।

05 वर्ष से अधिक समय से बकाया DLC (जीवन प्रमाण पत्र) की सूची का निरिक्षण किया गया तो हमने पाया कि लाभार्थी विशाल कुमार PPO सख्या: LDASR000XXX95 वर्ष 2018 से DLC (जीवन प्रमाण पत्र) ना होने के कारण पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे थे। पेंशन अनुभाग द्वारा संबंधित PPO के रिकार्ड की जाँच करने पर पाया गया कि लाभार्थी की माता श्रीमती नीमा देवी EPFO से पेंशन पा रही हैं। तत्पश्चात श्रीमती नीमा देवी के रिकार्ड से उनका मोबाईल नंबर प्राप्त कर उन्हें यह सूचित किया गया कि DLC ना होने के कारण उनका पुत्र वर्ष 2018 से पेंशन नहीं पा रहा है। श्रीमती नीमा देवी नें जानकारी दी कि उनका पुत्र दो बार Cyber Cafe में DLC करा चुका है किंतु हर बार DLC अस्वीकार हो जाता है। क्योंकि दो बार DLC अस्वीकार हो चुका था, इसलिये विशाल कुमार का पी एफ अमृतसर ऑफिस में बुलाकर DLC करना एवं आधार कार्ड जाँच करना अनिवार्य था।

लाभार्थी विशाल कुमार पी एफ अमृतसर ऑफिस 25 जून 24 को आए और अपने साथ वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज भी ले आए। उन्होंने वार्ता के दौरान कहा कि मैं अभी सिविल इंजिनियरिंग कर रहा हूं यदि पेंशन मिलना शीघ्र प्रारंभ हो जाए तो में आत्मनिर्भर हो जाऊंगा।

हमने लाभार्थी विशाल कुमार की बकाया राशि और मासिक पेंशन जाँची तब पाया कि xxx58 रुपये बकाया राशी और पेंशन लाभार्थी के खाते में प्राप्त होंगे। तब हमने उनकी बकाया राशि स्क्रौल नम्बर: LDASR/2024-2025/C/000/EPS-WX/73 के जरीये स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में दिनांक 24 जुलाई 2024 को जमा कर दी।

खोया हुआ अधिकार : ई.पी.एफ.ओ. लाभार्थी के द्वार

घर का दौरा कर आश्रितों को दी गई पेंशन अधिकार कि जानकारी त्वरित कार्यवाही से शुरू की सालों से रुकी पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) ने अपने अंशधारकों को बेहतरीन एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर अनेक नए अभियान प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में, संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर (पंजाब) ने भविष्य निधि के पेंशनधारकों को सर्वश्रेष्ठ तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से DLC (जीवन प्रमाण पत्र) टीम गठित कर एक विशेष अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान के तहत ऐसे पेंशनरों के संपर्क किया जा रहा है जिनकी पेंशन उनका ई-जीवन प्रमाण अपडेट न होने के कारण पिछले पांच वर्षों के रूकी हुई है।

श्री सरगारा सिंह PPO संख्या LDASR000XXX85 वर्ष 2018 से पेंशन का लाभ नहीं ले रहे थे। DLC (जीवन प्रमाण पत्र) टीम के सदस्य श्री प्रशांत असवाल ने इनकी पेंशन फाइल एवं अन्य दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद इनका स्थानीय पता प्राप्त किया और पते पर दौरा किया । स्थाई पते पर सम्पर्क करने पर उनकी मुलाकात पेंशनर के पौत्र श्री अमन से हुई जिन्होंने यह अवगत कराया कि उनके दादाजी श्री सरगारा सिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्रशांत ने श्री अमन से परिवार के अन्य जीवित सदस्यों की जानकारी ली जिसमें यह पाया गया कि पेन्शनर कि धर्मपत्नी श्रीमती गुरबच्चन कौर (लाभार्थी) जीवित हैं एवं पेंशन की दावेदार हैं। पेंशनर के पौत्र इस दावेदारी के बारे में अनभिग्य थे और ना ही लाभार्थी नें इस बारे में कभी घर में जिक्र किया था। क्योंकि उस समय लाभार्थी घर पर मौजूद नहीं थीं इसलिये प्रशांत द्वारा उनके पोत्र को ई.पी.एफ.ओ. पेंशन लाभ के बारे में जानकारी देकर लाभार्थी की पेंशन शुरू करने के लिये जरूरी दस्तावेज बताये गये। जब लाभार्थी एक हफ्ते बाद अपने घर आईं तो प्रशांत नें दोबारा उनके घर का दौरा किया और मौके पर उनका पेंशन फार्म भरवा कर अन्य दस्तावेज (मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड) के साथ पी एफ ऑफिस अमृतसर के पेंशन अनुभाग में जमा करवाया।

लाभार्थी की पेंशन शुरू करने कि प्रक्रिया के दौरान पेंशन अनुभाग नें पाया कि लाभार्थी के आधार कार्ड में एवं पेंशन रिकार्ड में पेन्शनर के नाम में थोड़ा फर्क है। इसके समस्या के समाधान के लिये जरूरी दस्तावेज लाभार्थी से प्राप्त कर पेंशन अनुभाग में जमा कराए गये। इस प्रकार DLC टीम के अथक प्रयासों द्वारा लाभार्थी के घर बैठे-बैठे उनकी पेंशन शुरू करने कि प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

सुदेश रानी की पेंशन वापसी: असाक्षरता और पत्र की उलझनें

असाक्षर आश्रित को कार्यालय कि मानवीय पहल से मिली 55,000 रुपये की बकाया राशि एवं मसिक पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) ने अपने अंशधारकों को बेहतरीन एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर अनेक नए अभियान प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में, संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर (पंजाब) ने भविष्य निधि के पेंशनधारकों को सर्वश्रेष्ठ तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से DLC (जीवन प्रमाण पत्र) टीम गठित कर एक विशेष अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान के तहत ऐसे पेंशनरों के संपर्क किया जा रहा है जिनकी पेंशन उनका ई-जीवन प्रमाण अपडेट न होने के कारण पिछले पांच वर्षों के रूकी हुई है।

पेंशनर श्री लालजीत PPO संख्या: LDASR000XXX29 वर्ष 2020 से पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसकी सूचना देने हेतु हमारे कार्यालय द्वारा पेंशनर श्री लालजीत को पत्र भेजा गया। पत्रों के माध्यम से उन्हे बताया गया, कि आपने लम्बे समय से DLC (जीवन प्रमाण पत्र) नहीं करवाया है, इसिलिए आपको मिलने वाला पेंशन का लाभ वर्ष 2020 से आपको नहीं मिल रहा है। कृप्या आप शीघ्रता पूर्वक DLC करवा लें, जिससे हम समयानुसार आपको मिलने वाला पेंशन का लाभ आप तक पहुँचा सकें। इन पत्रों का कोई प्रतिउत्तर नहीं आया। मोबाईल कॉल करने हेतु दफ्तर के पास उनका नंबर उपलब्ध नहीं था। DLC (जीवन प्रमाण पत्र) टीम के सदस्य द्वारा पेन्शनर की बैंक शाखा में संबंधित पत्र के साथ दौरा कर उनका मोबाईल नंबर 9xxxxxxxx8 प्राप्त किया गया।।

DLC टीम के सदस्य द्वारा पेन्शनर को मोबाईल पर कॉल किया गया। पेन्शनर की धर्म पत्नी श्रीमती सुदेश रानी नें कॉल का जवाब देते हुए जानकारी दी कि श्री लालजीत का स्वर्गवास दिसम्बर 2019 में हो चुका है।

जब श्रीमती सुदेश रानी (लाभार्थी) से विधवा पेंशन के लिये दस्तावेज ना भेजने का कारण पूछा गया तो उन्होंने ने बताया कि उनके पते पर उनके पति के नाम से कुछ पत्र तो आये थे परंतु वह साक्षर नहीं हैं इसलिये इन पत्रों को समझ नहीँ पाईं। इन्होंने यह भी बताया कि जानकारी के अभाव में वह पेंशन को शुरू कराने के लिये अर्जी नहीं दे पाईं। फोन कॉल पर लाभार्थी को जरूरी दस्तावेज (मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी) तैयार रखने का आग्रह किया गया ताकि पेंशन शुरू की जा सके।

जब लाभार्थी पी एफ ऑफिस आईं तो पेंशन अनुभाग नें उनका पेंशन फॉर्म भरा और पेंशन कि प्रक्रिया प्रारंभ की लाभार्थी नें बताया किउनके पति लालजीत, पुतलिगर में दयाल बाग नामक कपड़ा मिल में लेबर का कार्य करते थे. सेवानिवृत्ती के पश्चात उनके पति को पेंशन का लाभ मिलने लगा परंतु उनके पति के आकस्मिक निधन होने के बाद से वह आर्थिक परेशानियों से जूझ रहीं हैं।

जब पेंशन अनुभाग ने लाभार्थी श्रीमती सुदेश रानी का बकाया राशी और मासिक पेंशन देखा तब पाया कि xxxx0 रुपये बकाया राशि और मासिक पेंशन के रूप में लाभार्थी के खाते में प्राप्त होने हैं। तब हमने उनकी बकाया राशि स्क्रौल नम्बर: LDASR/072024/C/000/EPSM/82 के तहत बकाया राशि लाभार्थी के बैंक खाते में दिनांक 26 जुलाई 2024 को जमा कर दी।

डी.एल.सी के बिना पेंशन का संकट : कृष्णा सैनी की कहानी

कार्यालय की सकारात्मक पहल ने बुजुर्ग एवं बीमारी से ग्रसित पेंशनर तक पहुंचाया पेंशन लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) ने अपने अंशधारकों को बेहतरीन एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर अनेक नए अभियान प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में, संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर (पंजाब) ने भविष्य निधि के पेंशनधारकों को सर्वश्रेष्ठ तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से DLC (जीवन प्रमाण पत्र) टीम गठित कर एक विशेष अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान के तहत ऐसे पेंशनरों के संपर्क किया जा रहा है जिनकी पेंशन उनका ई-जीवन प्रमाण अपडेट न होने के कारण पिछले पांच वर्षों के रूकी हुई है।

इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर द्वारा लाभार्थी श्रीमती कृष्णा सैनी (लाभार्थी) PPO संख्या: LDASR000XXX27 वर्ष 2020 से DLC (जीवन प्रमाण पत्र) ना होने के कारण पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहीं थीं। DLC (जीवन प्रमाण पत्र) टीम के सदस्य द्वारा लाभार्थी की बैंक शाखा में संबंधित पत्र के साथ दौरा कर उनका मोबाईल नंबर प्राप्त किया गया। इसकी सूचना देने हेतु हमारे कार्यालय के SSA श्री अमित के द्वारा लाभार्थी को कॉल किया गया। लाभार्थी नें फोन कॉल पर बताया कि उनके पति श्री जोगिंदर पाल सैनी "मार्कफैड" में कार्य करते थे। उनके पति सेवानिवृति के बाद पेंशन का लाभ ले रहे थे किन्तु वर्ष 2016 में पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्हें पेंशन का लाभ मिलना शुरू हुआ। कुछ सालों तक तो निरबाध्य रूप से पेंशन मिलती रही लेकिन वर्ष 2019 के बाद से वह खराब स्वस्थ्य के कारण DLC के लिये पी एफ ऑफिस अमृतसर नहीं जा पा रहीं हैं।

श्री अमित द्वारा लाभार्थी को यह अवगत कराया गया की वर्तमान में DLC के लिये पी एफ ऑफिस अमृतसर आने की आवश्यकता नहीं है, यह कार्यवाही नजदीकी बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ घर बैठे- बैठे मोबाईल से भी की जा सक्ति है। श्री अमित नें लाभार्थी को बताया की पी एफ ऑफिस अमृतसर से कर्मचारी उनके घर आकर DLC करेंगे जिससे उनकी पेंशन पुनः शुरू हो जाएगी। यह बात सुनकर श्रीमती कृष्णा सैनी बहुत खुश हुईं और उन्होनें इस पहल के लिये आभार प्रकट किया।

तत्पश्चात श्री श्याम सुन्दर, SSA एवं DLC टीम के अन्य सदस्य द्वारा लाभार्थी के घर जाकर DLC करने के बाद उनकी पेंशन बहाल की गयी।

जब लाभार्थी श्रीमती कृष्णा सैनी की बकाया राशि और मासिक पेंशन जाँची गयी तब यह पाया कि बकाया राशि xxxx0 रुपये और मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में प्राप्त होंगे। लाभार्थी श्रीमती कृष्णा सैनी कि बकाया राशि एवं मसिक पेंशन के रूप में xxxx0 रुपये उनके खाते में जमा कराने कि प्रक्रिया पूरी कर दी गयी है।

कृपया वीडियो देखने के लिए क्लिक करें

लाभार्थी - श्रीमती मोहिन्दर कौर - पुराने जीवन प्रमाणपत्रों को अपडेट करने का प्रयास-एक सकारात्मक पहल

EPFO AMRITSAR • 2 views • 5 hours ago

लाभार्थी - श्रीमती मोहिन्दर कौर - पुराने जीवन प्रमाणपत्रों को अपडेट करने का प्रयास-एक सकारात्मक पहल

EPFO AMRITSAR • 5 views • 5 hours ago

लाभार्थी अंकुश भारद्वाज और सोनाली भारद्वाज - पुराने जीवन प्रमाणपत्रों को अपडेट करने का प्रयास

EPFO AMRITSAR • 16 views • 5 hours ago

लाभार्थी - श्रीमती अमरीक कौर - पुराने जीवन प्रमाणपत्रों को अपडेट करने का प्रयास-एक सकारात्मक पहल

EPFO AMRITSAR • 1 view • 5 hours ago

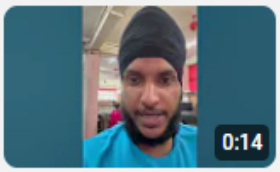

लाभार्थी - श्री हरमनदीप सिंह - पुराने जीवन प्रमाणपत्रों को अपडेट करने का प्रयास-एक सकारात्मक पहल

EPFO AMRITSAR • 345 views • 5 hours ago

लाभार्थी-श्री हरवेंद्र सिंह रंधावा-पुराने जीवन प्रमाणपत्रों को अपडेट करने का प्रयास-एक सकारात्मक पहल

EPFO AMRITSAR • 2 views • 4 hours ago

लाभार्थी-श्री दिलराम जी -पुराने जीवन प्रमाणपत्रों को अपडेट करने का प्रयास-एक सकारात्मक पहल

EPFO AMRITSAR • No views • 40 seconds ago

Click Here

Subscribe to our YouTube channel now!

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन – सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी